बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020..1334.. पटना, दिनांक : 6/6/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई ने पत्रांक 267 दिनांक 18.06.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री राजेश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN04254) के संबंध में शिविर प्रभारी लक्ष्मीपुर शिविर संख्या – 02 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा तेरीज लेखन के कार्य का प्रतिवेदन एम0आई0एस् पर अपलोड नहीं किया जाता है। साथ श्री कुमार बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य से दिनांक 08.02.2021 से अनुपस्थित रहे हैं। पुनः दिनांक 24.03.2021 को योगदान देकर दिनांक 26.03.2021 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जिसके कारण विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित रहा है। उक्त के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई द्वारा श्री. कुमार के सेवा समाप्ति पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्राप्त सूचना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री कुमार के बार–बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना इनके स्वच्छेचारिता एवं अपने कार्यो के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। इनके इस तरह के आचरण से विशेष सर्वेक्षण कार्यो एवं अन्य कर्मियों पर इसका प्रतिकुल असर पड़ेगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के अनुरोध के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4) के तहत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण श्री राजेश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN04254) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 6/6/22
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020..1334..पटना, दिनांक : 6/6/2022

प्रतिलिपि :– श्री राजेश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN04254) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020..1334..पटना, दिनांक : 6/6/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020..1334..पटना, दिनांक : 6/6/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी प्रोग्रामर / आई0टी0 कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 6/6/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप